

संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश ग—खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,

भोपाल — 462004

(0755) 2551199, 2552003・ ゆみれ − 0755−2551387

क.प्राविवि / प्रमंजधयो-2 / संविसं / 2015 / 258

भोपाल, दिनांक ०५ अगस्त २०१५

तत्काल / महत्वपूर्ण / समय-सीमा

प्रति,

संभागायुक्त (समस्त), मध्य प्रदेश

2 **कलेक्टर** (समस्त), मध्य प्रदेश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश

4. **आयुक्त** (समस्त), नगर निगम, मध्ये प्रदेश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), नगर पालिका / नगर पंचायत, मध्य प्रदेश

6. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश

राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश

अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश

. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित. भोपाल

10. **आंचलिक प्रबंधक,** भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल

11. **क्षेत्रीय प्रबंधक**, न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल

12. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल

13. क्षेत्रीय प्रबंधक, ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल

14. क्षेत्रीय प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल

15. **अग्रणी जिला प्रबंधक** (समस्त), मध्य प्रदेश

विषय:- प्रधान मंत्री जन धन योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत प्रारम्भ की गई योजनाएं -अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एव प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना बाबत्।

संदर्भ:— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग का पत्र क. एच-12011/ 2/2015-आईएनएस.।। दिनांक 29-07-2015।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत बगैर अच्छे स्वास्थ्य के प्रमाण-पत्र के पंजीयन करने की तिथि को दिनांक 30-09-2015 तक बढ़ाया गया है। उक्त तिथि के उपरान्त प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत पंजीयन कराने वाले हितग्राही को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार द्वारा उक्तानुसार की गई अवधि में वृद्धि से सर्वसंबंधितों को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें। संलग्न:--उक्तानुसार।

> (अमित राठौर) मिशन डायरेक्टर सह आयुक्त संस्थागत वित्त

पृ.क.प्राविवि / प्रमंजधयो—2 / संविसं / 2015 / 23.82 प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक ०५ अगस्त २०१५

- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली।
- 2. अपर मुख्य सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 3. अपर मुख्य सचिव, म०प्र०शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 5. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
- मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ।
- 9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।

मिशन डायरक्टर सह आयुक्त संस्थागत वित्त

F.No.H-12011/2/2015-ins.ll Government of India Ministry of Finance Department of Financial Services

2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, Dated: 29,07,2015

To
Deputy Governor, RBI,
Chairman, NABARD,
Chairman IBA,
Chairman LIC of India,
Chairman GIPSA,
Secretary General, Life Insurance Council,
Secretary General, General Insurance Council.

Sub: Extension of last date of enrolment under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY) and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) to 30th September, 2015.

Sir.

I am directed to refer to the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), launched by the Hon'ble Prime Minister on 9th May 2015.

- 2. The last date for enrolment under PMSBY and PMJJBY (without certificate of good health for PMJJBY) is for an extended period up to 31.08.2015. It was provided in the guidelines that this period is further extendable up to 30.11.2015. As a large proportion of the eligible bank account holders are still uncovered, the last date for enrolment under these two insurance schemes, without certificate of good health for PMJJBY, is extended at this time from 31.08.2015 to 30.09.2015. It is pertinent that in any event there is no requirement of the certificate of good health for PMSBY.
- 3. Thus, as of now, persons enrolling in PMJJBY and PMSBY after 30.09.2015 for obtaining cover, as prescribed, for the balance period up to 31.05.2016 shall be required to submit the prescribed certification of good health in case of PMJJBY.
- 4. IBA, GIPSA, Life Insurance Council and General Insurance Council may kindly inform all members. NABARD and RBI may kindly inform all rural and urban Cooperative Banks, respectively.
- 5. Banks and Insurance Companies are requested to continue to make all efforts to create awareness and access under the schemes to bring larger sections of the population within their ambit.

76M2 -

Under Secretary to the Government of India

Tel.: 011-23748789

Copy to:

- 1. Chairman, IRDAI for information.
- 2. All the SLBC Coordinators and Nodal officers of LIC and GIPSA companies for information and necessary action.